भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4039**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**पीएनबी घोटाले में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई**

4039. श्री कपिल सिब्बलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में बैंक कर्मियों के विरुद्ध की गई प्रशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आरबीआई के परिपत्रों और अनुदेशों का पालन नहीं किया गया और जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में जाली वचनबद्धता-पत्र (एलओयू) का बड़ा घोटाला हुआ, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चूकों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) से (ग):** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने सूचित किया है कि सीबीआई ने पीएनबी में अप्राधिकृत लेनदेन से संबंधित तीन मामले दर्ज किए हैं और पीएनबी के आठ सरकारी कर्मचारियों सहित कई लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। पीएनबी ने 21 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया है।

 आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंक के उद्यम व्यापक जोखिम का प्रबंधन सुरक्षा ढांचे के तीन स्तरों के तहत किया जाता है जिसमें तीन स्तरीय जांच और संतुलन की व्यवस्था है।

 सुरक्षा का पहला स्तर व्यवसाय यूनिट स्तर पर कार्य प्रणाली के नियंत्रण से आता है। सुरक्षा के दूसरे स्तर में जोखिम लेने और जोखिम प्रबंधन की निगरानी शामिल है जिसमें आंतरिक अभिशासन के कई घटकों द्वारा कवर की गई अनेक गतिविधियां शामिल हैं। सुरक्षा का यह स्तर परिचालन प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर नजर रखता है और इसके कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा संगठन में शीर्ष से नीचले स्तर पर जोखिम उठाने वाले को पर्याप्त जोखिम से संबंधित सूचना देने में सहायता करता है।

 सुरक्षा के तीसरे स्तर में विभिन्न रूपों जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा आदि रूपों में लेखापरीक्षा के कार्य मुख्य रूप से शामिल हैं, जो बैंक के उच्च प्रबंधन/बोर्ड को स्वतंत्र जोखिम आश्वस्तता उपलब्ध कराता है।

 पीएनबी के मामले में सुरक्षा के ये तीनों स्तर असफल हो गए हैं, जिसके कारण बैंक में विस्तृत लेखापरीक्षा ढांचा विद्यमान होने के बावजूद ऐसी अधिक धनराशि की आपराधिक धोखाधड़ी हो गई है।

 इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने बताया है कि उसने बैंकों को 3 अगस्त, 2016 और 25 नवम्बर, 2016 को स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली में आवश्यक नियंत्रण से संबंधित दो परिपत्र जारी किए थे। उत्तर में पीएनबी ने आरबीआई के 3 अगस्त, 2016 के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की थी, जो अब वास्तविक रूप से गलत पाई गई है।

\*\*\*\*\*